

वश्ववदयालयों में राज्यपाल की भूमिका

प्रलमिस के लयि:

राज्यपाल, अनुच्छेद 153, पुंछी आयोग, सरकारया आयोग

मेन्स के लयि:

राज्यपाल एवं संबंघति मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गोपीनाथ रवींदरन को कन्नूर वश्ववदयालय के कुलपतके रूप में फरि से नयुक्त करने को लेकर केरल में ववाद छडि गया है।

- यह नयुक्ता राज्य के वश्ववदयालयों के कुलाधपति के रूप में **राज्यपाल** के नरिणय के खलाफ थी।
- जबका कुलाधपति के रूप में राज्यपाल की शक्तयिों और कार्य एक वशिष राज्य सरकार के तहत वश्ववदयालयों को संचालति करने वाली वधियिों में नरिधारति कयि गए हैं, कुलपतयिों की नयुक्ता में उनकी भूमिका ने अकसर राजनीतिक कार्यपालका के साथ ववाद को जन्म दया है।

प्रमुख बदि

• राज्य वश्ववदयालयों में राज्यपालों की भूमिका:

- ज्यादातर मामलों में, राज्य के राज्यपाल उस राज्य के वश्ववदयालयों के पदेन कुलाधपति होते हैं।
- राज्यपाल के रूप में वह मंत्रपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है, कुलाधपति के रूप में वह स्वतंत्र रूप से मंत्रपरिषद से कार्य करता है तथा वश्ववदयालय के सभी मामलों पर नरिणय लेता है।

• केंद्रीय वश्ववदयालयों का मामला:

- केंद्रीय वश्ववदयालय अधनियम, 2009 और अन्य वधियिों के तहत, भारत के राष्ट्रपति एक केंद्रीय वश्ववदयालय के कुलाध्यक्ष होंगे।
- दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने तक सीमति उनकी भूमिका के साथ, केंद्रीय वश्ववदयालयों में कुलाधपति नाममात्र के प्रमुख होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा आगंतुक के रूप में नयुक्त कया जाता है।
- कुलपति को भी केंद्र सरकार द्वारा गठति खोज और चयन समतियिों द्वारा चुने गए नामों के पैनल से वजिटिटर द्वारा नयुक्त कया जाता है।
- अधनियम में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को कुलाध्यक्ष के रूप में वश्ववदयालयों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पहलुओं के नरिक्षण को अधकृत करने और पूछताछ करने का अधकार होगा।

• राज्यपाल से संबंघति संवैधानिक प्रावधान:

- संवधान के मुताबकि, राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है:
 - वह राज्य के मंत्रपरिषद (CoM) की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
 - वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- भारतीय संवधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लयि एक राज्यपाल का प्रावधान कया गया है। एक व्यक्तिको दो या दो से अधकि राज्यों के राज्यपाल के रूप में नयुक्त कया जा सकता है।
 - राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामति व्यक्ता होता है, जसै राष्ट्रपति द्वारा नयुक्त कया जाता है।
- **अनुच्छेद 163:** कुछ वविकाधीन शक्तयिों के अतरिकृत राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लयि

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रपरिषद का गठन किये जाने का प्रावधान है।

- **अनुच्छेद 200:** राज्यपाल, राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधायक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिये विधायक को सुरक्षा प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 213:** राज्यपाल कुछ विशेष परिस्थितियों में **अध्यादेशों** को प्रख्यापित कर सकता है।

● राज्यपाल की भूमिका संबंधित विवाद

- **केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग:** प्रायः केंद्र में सत्ताधारी दल के निर्देश पर राज्यपाल के पद के दुरुपयोग के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं।
 - राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को इसमें एक प्रमुख कारण माना जाता है।
- **पक्षपाती विचारधारा:** कई मामलों में एक विशेष राजनीतिक विचारधारा वाले राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों को केंद्र सरकार द्वारा राज्यपालों के रूप में नियुक्त किया जाता है।
 - यह संवैधानिक रूप से अनविराय तटस्थ पद के पूर्ण विरुद्ध है और यह पक्षपात को जन्म देता है, जैसा कि कर्नाटक तथा गोवा के मामलों में देखा गया।
- **कठपुतली शासक:** हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल पर **आदर्श आचार संहिता** के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
 - केंद्रीय सत्ताधारी दल के प्रति उनका समर्थन गैर-पक्षपात की भावना के विरुद्ध है जिसकी अपेक्षा संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्तियों से की जाती है।
 - ऐसी घटनाओं के कारण ही राज्य के राज्यपाल के लिये केंद्र के एजेंट, कठपुतली और रबर स्टैम्प जैसे नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है।
- **एक विशेष राजनीतिक दल का पक्ष लेना:** चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी/गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करने की राज्यपाल की विकाधीन शक्तियों का प्रायः किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में दुरुपयोग किया जाता है।
- **शक्तिका अनुचित उपयोग:** प्रायः यह देखा गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के लिये राज्यपाल की सफारिश सदैव 'तथ्यों' पर आधारित न होकर राजनीतिक भावना और पूर्वाग्रह पर आधारित होती है।

● राज्यपाल के पद से संबंधित सफारिशें:

- **राज्यपाल की नियुक्ति और निकासन के संबंध में**
 - 'पुंछी आयोग' (2010) ने सफारिश की थी कि राज्य विधायिका द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का प्रावधान संविधान में शामिल किया जाना चाहिये।
 - राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री की राय भी ली जानी चाहिये।
- **अनुच्छेद 356 के संबंध में**
 - 'पुंछी आयोग' ने अनुच्छेद 355 और 356 में संशोधन करने की सफारिश की थी।
 - 'सरकारिया आयोग' (1988) ने सफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में विकल्प तरीके से ऐसी स्थिति में किया जाना चाहिये जब राज्य में संवैधानिक तंत्र को बहाल करना अपरहार्य हो गया हो।
 - इसके अलावा प्रशासनिक सुधार आयोग (1968), राजमन्नार समिति (1971) और न्यायमूर्ति वि. चेलैया आयोग (2002) आदि ने भी इस संबंध में सफारिशें की हैं।
- **अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की बर्खास्तगी के संबंध में**
 - एस.आर. बोमई मामले (1994): इस मामले के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी को समाप्त कर दिया गया।
 - नरिणय के मुताबिक, विधानसभा ही एकमात्र ऐसा मंच है, जहाँ तत्कालीन सरकार के बहुमत का परीक्षण करना चाहिये, न कि राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय के आधार पर।
- **विकाधीन शक्तियों के संबंध में**
 - नबाम रेबिया मामले (2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नरिणय में कहा था कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की विकाधीन शक्तियों का प्रयोग सीमित है और राज्यपाल की कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक तथ्यों के आधार पर नहीं होनी चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस